



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 28 मई, 2025 / 07 ज्येष्ठ, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला—171002, 24 मई, 2025

संख्या: एल.ई.पी.—ए003/14/2023.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 के साथ पठित धारा 40 तथा 62 43—राजपत्र / 2025—28—05—2025 (2251)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-6 / 2007-बी.ओ.सी.डब्ल्यू, तारीख 4 दिसम्बर, 2008 को अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) संशोधन, नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 266 का संशोधन।—हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 266 में,-

(क) उप-नियम (3) के खण्ड (i) के उप-खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा।

(ख) उक्त नियम के नियम (3) के खण्ड (ii) में, "नगर निगम क्षेत्र में सम्बन्धित पार्षद/वार्ड सभा के सदस्य" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "नगर निगम के आयुक्त द्वारा प्रधिकृत कनिष्ठ अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी/कार्यकारी अभियन्ता या अन्य अधिकारी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

3. नियम 280 के नए नियम (4) का जोड़ा जाना।—उक्त नियमों के नियम 280 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.-पी.एम.-जे.ए.वाई.) के अधीन प्रचलित समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/सन्नियमों के अध्यधीन, हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत कर्मकार आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.-पी.एम.-जे.ए.वाई) और हिमकेयर के अधीन आएंगे।"

4. नियम 285 का संशोधन।—उक्त नियमों के नियम 285 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नये उप-नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(3) हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालयों के हिताधिकारियों द्वारा दावे प्रस्तुत करने हेतु समय अवधि आवेदन के घटित होने/समाप्त होने से छह माह होगी।

(4) यदि कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्य बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हैं, तो दावे करने वाले कुटुम्ब/हिताधिकारी का केवल एक ही सदस्य बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता का दावा करने का हकदार होगा।"

आदेश द्वारा,

रितेश चौहान,
सचिव (श्र0रो0 एवं वि�0नि0)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. LEP-A003/14/2023 dated 24th May, 2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & OVERSEAS PLACEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th May, 2025

No. LEP-A003/14/2023.—In exercise of powers conferred by section 40 and 62 read with section 18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Expert Committee, constituted under section 5 of the said Act is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, notified *vide* this Department's notification No. Shram (A)4-6/2007-BOCW, dated 4th December, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8th December, 2008, namely:—

1. Short-titled and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Rule 266.—In the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (3) of rule 266.—

(a) sub-clause (d) of clause (i) shall be deleted.

(b) In clause (ii) for the words and sign, “respective Councillor/Member of Ward Sabha in Municipal Corporation Area” the words and signs “JE/SDO/Executive Engineer or any other officer authorized by the Commissioner of the Municipal Corporation” shall be substituted.

3. Addition of new sub-rule (4) under rule 280.—After sub-rule 280(3) the following new sub-rule shall be added, namely:—

“(4) Subject to prevailing/time to time guidelines/norms fixed by National Health Authority, Government of India under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (AB PM-JAY), registered workers of the HP BOCW Welfare Board will be covered under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (AB PM-JAY) and HIMCARE.”

4. Amendment of rule 285.—In rule 285, after sub-rule (2), the following new sub-rules shall be added, namely:—

“(3) The time period for submission of claims by the beneficiaries to HPBOCW Welfare Board offices shall be 6 months from the happening/completion of instances.

(4) If, more than one member of a family is registered with the Board, only one member of the family/beneficiary shall be eligible to claim the financial assistance for dependents under various schemes of the Board.”

By order,

RITESH CHAUHAN,
Secretary (LE & OP).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

श्रीमती सागरो देवी पुत्री रघुनाथ, निवासी टीका टिककरी, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरख्बास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024 / 1—9035, दिनांक 19—04—2025 अनुसार श्रीमती सागरो देवी पुत्री रघुनाथ, निवासी टीका टिककरी, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ—पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01—07—1964 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत पंजोत के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 01—07—1964 दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत पंजोत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सागरो देवी पुत्री रघुनाथ, निवासी टीका टिककरी, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 01—07—1964 को ग्राम पंचायत पंजोत के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30—05—2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 01—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

श्रीमती गट्टा देवी पुत्री गंगा राम, निवासी टीका बनालग, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला
हमीरपुर (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024 / 1-8788, दिनांक 16-04-2025 अनुसार श्रीमती गट्टा देवी पुत्री गंगा राम, निवासी टीका बनालग, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) का आवेदन समर्त सिर्कार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 15-07-1955 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत पौन्हज के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 15-07-1955 दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत पौन्हज में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गट्टा देवी पुत्री गंगा राम, निवासी टीका बनालग, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 15-07-1955 को ग्राम पंचायत पौन्हज के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्री लछमण सिंह, निवासी टीका बकन्यार, डाठ भटेड, तहसील बमसन स्थित
टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024 / 1-8782, दिनांक 16-04-2025 अनुसार श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्री लछमण सिंह, निवासी

टीका बकन्यार, डा० भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 02-02-1958 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 02-02-1958 दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत उटपुर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्री लछमण सिंह, निवासी टीका बकन्यार, डा० भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 02-02-1958 को ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

श्रीमती प्रमिला देवी पुत्री नरैण, निवासी टीका संगरोह कलां, डा० समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरख्बास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024 / 1-8786, दिनांक 16-04-2025 अनुसार श्रीमती प्रमिला देवी पुत्री नरैण, निवासी टीका संगरोह कलां, डा० समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1965 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 01-01-1965 दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत समीरपुर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्रमिला देवी पुत्री नरैण, निवासी टीका संगरोह कलां, डा० समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 01-01-1965 को ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना

उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)**

श्रीमती सागरो देवी पुत्री अमीं चंद, निवासी टीका बन्द्रोह, डा० भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024 / 1-1558, दिनांक 21-01-2025 अनुसार श्रीमती सागरो देवी पुत्री अमीं चंद, निवासी टीका बन्द्रोह, डा० भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ—पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10-03-1952 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत भटेड के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 10-03-1952 दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत भटेड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सागरो देवी पुत्री अमीं चंद, निवासी टीका बन्द्रोह, डा० भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 10-03-1952 को ग्राम पंचायत भटेड के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

श्रीमती आशा देवी पुत्री लश्करी राम, निवासी टीका टपरे, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला
हमीरपुर (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024 / 1-8320, दिनांक 07-04-2025 अनुसार श्रीमती आशा देवी पुत्री लश्करी राम, निवासी टीका टपरे, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 29-01-1967 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत टपरे के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 29-01-1967 दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत टपरे में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती आशा देवी पुत्री लश्करी राम, निवासी टीका टपरे, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 29-01-1967 को ग्राम पंचायत टपरे के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

मिसल नं० :
21 / NT / 2025

किस्म मुकद्दमा:
मृत्यु तिथि पंजीकरण

तारीख दायरः
28-04-2025

तारीख पेशी :
31-05-2025

श्री सत्य पाल पुत्र स्वामी राम, वासी मोहाल थाती सैनूवां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी।

विषय.—मृत्यु तिथि पंजीकरण श्री कपूरा पुत्र गानू वासी मोहाल थाती सैनूवां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर
(हि0प्र0)

प्रार्थना—पत्र बराये मृत्यु तिथि पंजीकरण प्रार्थी श्री सत्य पाल पुत्र स्वामी राम, वासी मोहाल थाती सैनूवां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसके दादा श्री कपूरा पुत्र गानू की मृत्यु दिनांक 28-12-1877 को ग्राम पंचायत खनौली में हुई थी तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत खनौली में दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत खनौली में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 31-05-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 01-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं०	तारीख दायरा	तारीख पेशी
57 / 25 / TEH	01-05-2025	30-05-2025

प्रार्थी जोगिनद्र कुमार पुत्र श्री रसीला राम, निवासी महाल झिकली इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 37(2) भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल झिकली इच्छी, पटवार वृत्त इच्छी खास, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम रुको देवी दर्ज है, जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी की माता का सही नाम रुकमणी देवी विधवा रसीला राम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का सही नाम रुको की बजाए रुकमणी देवी विधवा रसीला राम निवासी महाल झिकली इच्छी, पटवार वृत्त इच्छी में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0
58 / 25 / TEH

तारीख दायरा
01-05-2025

तारीख पेशी
30-05-2025

प्रार्थी गुरचरण सिंह पुत्र श्री मोती राम, निवासी महाल जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल जमानाबाद, पटवार वृत्त जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गुरचरण दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का सही नाम गुरचरण सिंह पुत्र मोती पुत्र दासा दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम गुरचरण की बजाए गुरचरण सिंह पुत्र मोती राम, निवासी महाल जमानाबाद, पटवार वृत्त जमानाबाद में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
61 / 25 / TEH

तारीख दायरा
21-05-2025

तारीख पेशी
20-06-2025

प्रार्थी अंजन कुमार पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, निवासी महाल मिहालू, डा० जमानाबाद, तहसील व जिला
कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 37(2) भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी
द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल मिहालू पटवार वृत्त जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के
राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम विशनू दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के
पिता का सही नाम त्रिलोक सिंह पुत्र गुलावा दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का
सही नाम विशनू की बजाए विशनू उपनाम त्रिलोक सिंह पुत्र गुलावा, निवासी महाल मिहालू पटवार वृत्त
जमानाबाद दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को
कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर
सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
60 / 25 / TEH

तारीख दायरा
21-05-2025

तारीख पेशी
20-06-2025

प्रार्थिया श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री हंस राज, निवासी महाल सौहड़ा, डा० इच्छी, तहसील व जिला
कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 37(2) भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल सौहड़ा, पटवार वृत्त जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा (हि०प्र०) के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम अंजू देवी दर्ज है, जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का सही नाम रीना देवी पुत्री हंस राज दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का सही नाम अंजू देवी की बजाए अंजू उपनाम श्रीमती रीना देवी पुत्री हंस राज, निवासी महाल सौहड़ा, पटवार वृत्त अबदुल्लापुर दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20—06—2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21—05—2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र धर्मपाल, निवासी गांव कोटकवाला, डा० जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा (हि०प्र०) द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र के साथ शपथ—पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके बेटे का नाम आधार कार्ड में कार्तिक दर्ज है, जोकि गलत है। जबकी प्रार्थी अपने बेटे का सही नाम आधार कार्ड में अकार्तिक (AKARTIK) दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, शपथ—पत्र व रिकार्ड कागजात को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी के बेटे का सही नाम कार्तिक की बजाए अकार्तिक (AKARTIK) पुत्र अनिल कुमार दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आधार कार्ड में नाम दुरुस्ती करवाने बारे किसी को कोई एतराज है तो वह अपना एतराज दिनांक 06—06—2025 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत जमानाबाद में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19—05—2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0
59 / 25 / TEH

तारीख दायरा
21-05-2025

तारीख पेशी
20-06-2025

प्रार्थी राजीव कुमार पुत्र श्री किकर सिंह पुत्र परम राम, निवासी महाल मेरा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 37(2) भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल मेरा, पटवार वृत्त नंदरूल, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सतपाल दर्ज है, जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का सही नाम किकर सिंह पुत्र परस राम दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का सही नाम सतपाल की बजाए सतपाल सिंह उपनाम किकर सिंह पुत्र परस राम पुत्र वेली, निवासी महाल मेरा, पटवार वृत्त नंदरूल में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप—तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0 :
19 / RNTK/2025

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
30-05-2025

शशी पाल पुत्र गगन सिंह, निवासी महाल नडोली खास, उप—तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान : नाम दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र।

प्रार्थी शशी पाल ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल नडोली खास में क्रमशः शशी पाल सिंह पुत्र घोघा दर्ज है। जबकि तमाम रिकार्ड में क्रमशः शशी पाल पुत्र गगन सिंह दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2020–21 महाल नडोली खास, स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति हल्फिया व्यान साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार से सूचित किया जाता है कि शशी पाल सिंह पत्र घोघा की बजाये शशी पाल सिंह उर्फ शशी पाल पुत्र घोघा उर्फ गगन सिंह किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 30–05–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 02–05–2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सुरेन्द्र कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील भडोली, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

किस्म मुकदमा : मकफूद-उल-खबरी

तारीख पेशी : 02–06–2025

निर्मला देवी पत्नी मेहर सिंह पुत्र खुशी राम, निवासी महाल सासन, मौजा भडोली, उप-तहसील भडोली हाल वासी महाल नंगल, डाठो बीहण, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा वादिया।

बनाम

आम जनता

. . . प्रतिवादी।

इश्तहार-मकफूद-उल-खबरी।

सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार मकफूद-उल-खबरी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वादिया ने इस कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पति मेहर सिंह पुत्र खुशी राम पुत्र अमीं चन्द, निवासी महाल नंगल, डाठो बीहण, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) पिछले लगभग 35 वर्षों से लापता है। जिसकी काफी खोजबीन करने के उपरान्त भी कोई सुराग नहीं मिला है तथा न ही आज दिन तक उसके जीवित होने की खबर मिली है, जिससे प्रतीत होता है कि वह अब इस दुनिया में जीवित न है। इसलिए प्रार्थिया अपने पति मेहर सिंह पुत्र खुशी राम की जहां कहीं भी मलकीयति भूमि दर्ज कागजात माल हो उनके वारसान के नाम बजरिया मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल दर्ज करवाकर हस्तान्तरित करवाना चाहती है।

अतः इस बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अगर किसी को भी उक्त श्री मेहर सिंह पुत्र श्री खुशी राम, निवासी गांव नंगल, डाकघर बीहण, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) के जीवित होने बारे

सूचना या गुमशुदा बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 02–06–2025 से पहले अधोहस्ताक्षरी की अदालत में अपने आक्षेप/उजर दर्ज करवा सकता है। आपत्ति न होने की सूरत में श्री मेहर सिंह पुत्र खुशी राम, निवासी महाल नंगल बीहण, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के वारसान के नाम भूमि बजरिया मकफूद–उल–खबरी इन्तकाल हस्ताक्षरित कर दी जाएगी।

आज दिनांक 02–05–2025 को मेरी अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

सुरेन्द्र कुमार,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकदमा नं० : 05 / 2025

तारीख पेशी : 05–06–2025

सोनिका कुमारी पुत्री रणबीर सिंह, निवासी गांव सालन, डाकघर सालन, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत बलोह, जिला कांगड़ा, हि० प्र०। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय:— जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना—पत्र।

प्रार्थी सोनिका कुमारी पुत्री रणबीर सिंह, निवासी गांव सालन, डाकघर सालन, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत बलोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के प्रार्थना—पत्र मय व्यान हलफी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 25–03–1985 को गांव सालन, ग्राम पंचायत बलोह में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बलोह को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त सोनिका कुमारी की जन्म तिथि 25–03–1985 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर है तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05–06–2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किसी का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उपरोक्त सोनिका कुमारी की जन्म तिथि 25–03–1985 के पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत, बलोह को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक 05–05–2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति,
हिमाचल प्रदेश**

शान्ति देवी पुत्री सोनम दावा हाल पत्नी राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव व डाकघर जोबरंग, उप-तहसील
उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हिं0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि शान्ति देवी पुत्री सोनम दावा हाल पत्नी राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव व डाकघर जोबरंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हिं0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला लाहौल एवं स्पीति स्थित केलांग को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 15-04-1970 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जहालमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थिया अपरोक्त जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत जहालमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला पंजीकरण रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि शान्ति देवी पुत्री सोनम दावा हाल पत्नी राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव व डाकघर जोबरंग, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हिं0 प्र0) की जन्म तिथि 15-04-1970 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जहालमा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के अन्दर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त शान्ति देवी की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उदयपुर, उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हिं0 प्र0)

ब मुकद्दमा : कलजंग छोजोर पुत्र श्री ज्ञालछन, गांव योचे, डाकघर दारचा सूमदो, तहसील लाहौल,
जिला लाहौल एवं स्पीति (हिं0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

विषय.— राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

कलजंग छोजोर पुत्र श्री ज्ञालछन, गांव योचे, डाकघर दारचा सूमदो, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हिंप्र०) ने एक आवेदन शपथ—पत्र सहित बराए नाम दुरुस्ती इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदक ने उल्लेख किया है कि मेरा नाम पंचायत परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूल त्यागपत्र में कलजंग छोजोर पुत्र ज्ञालछन दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो के महाल योचे में कलजंग होजर पुत्र श्रीमती टशी लामो दर्ज है। अतः प्रार्थी भू—राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो मोहाल योचे में अपना नाम दुरुस्त करके कलजंग होजर पुत्र श्रीमती टशी लामो के स्थान पर कलजंग होजर उर्फ कलजंग छोजोर पुत्र श्रीमती टशी लामो दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के नाम को भू—राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो मोहाल योचे में दुरुस्त करके कलजंग होजर पुत्र श्रीमती टशी लामो के स्थान पर कलजंग होजर उर्फ कलजंग छोजोर पुत्र श्रीमती टशी लामो दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 03—06—2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के नाम को भू—राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो, मोहाल योचे में दुरुस्त कर कलजंग होजर पुत्र श्रीमती टशी लामो के स्थान पर कलजंग होजर उर्फ कलजंग छोजोर पुत्र श्रीमती टशी लामो दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03—05—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,
जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश।

CHANGE OF NAME

I, Gayatri w/o Sh. Birval Singh, r/o Village Jakhuni, P.O. Devidhar, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Beena Devi in my Aadhar Card. Therefore it should be changed to Gayatri in my Aadhar Card.

GAYATRI
w/o Sh. Birval Singh,
r/o Village Jakhuni, P.O. Devidhar,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mitulesh Devi w/o Sh. Mohinder Singh, r/o Village Kashyana, P.O. Dhanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Mitlesh Kumari to Mitulesh Devi for all purposes in future. Please note.

MITULESH DEVI
w/o Sh. Mohinder Singh,
r/o Village Kashyana, P.O. Dhanwin,
Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Laxmi Devi w/o Sh. Badri Ram, r/o Village Jadli, P.O. Patta Brawri, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name from Laxmi Devi to Lakshmi Devi.

LAXMI DEVI
*w/o Sh. Badri Ram,
r/o Village Jadli, P.O. Patta Brawri,
Tehsil & District Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Vina Sharma w/o Sh. Kamal Kant, r/o Village Nom Chat, P.O. Sarsu, Tehsil Narag, District Sirmaur (H.P.) have changed my name from Vina Sharma to Beena Devi.

VINA SHARMA
*w/o Sh. Kamal Kant,
r/o Village Nom Chat, P.O. Sarsu,
Tehsil Narag, District Sirmaur (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Lohri Devi w/o Late Sh. Hari Ram, r/o V.P.O. Baijnath, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card, PAN Card & Panchayat record my name is wrongly entered as Lohli Devi. My correct name is Lohri Devi & the correct D.O.B. is 15-04-1956 as recorded in Army Pension records. All concerned note it.

LOHRI DEVI
*w/o Late Sh. Hari Ram,
r/o V.P.O. Baijnath,
Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.).*